

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादक्र0-300084ए / 16

संस्थित दिनांक-27.02.2015

1.अनिल कुमार जैन आयु-55 वर्ष पिता स्व. इन्दरचंद जैन,
निवासी-ग्राम पौनी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट

.....वादी

विरुद्ध

1.श्रीमती सरला जैन आयु-54 वर्ष पति श्री सुरेन्द्र जैन,
निवासी-ग्राम पौनी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट

2.सुश्री स्वाती आयु-30 वर्ष, पिता श्री सुरेन्द्र जैन
निवासी-ग्राम पौनी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट
वर्तमान निवास-डिप्टी कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

3.मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा-कलेक्टर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)।

4. तहसीलदार बिरसा, तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट

.....प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

-:: दिनांक-19/05/2017 को घोषित ::-

1. यह वाद वादग्रस्त सम्पत्ति मौजा पौनी रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर-229/1 जो नजरी नक्शा में ए.बी.सी.डी. से दर्शित है, के संबंध में उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मौजा पौनी रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि खसरा क्रमांक-229/6 रकबा 0.22 डिसमिल तथा खसरा नंबर-229/1 रकबा 0.56 डिसमिल भूमि पर मालिक काबिज है। उक्त भूमि वर्ष 1990 में श्रीमती शांतिबाई विधवा गोपीचंद जैन व देवेन्द्र कुमार जैन पिता गोपीचंद जैन से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से वादी के भाई गौतमचंद जैन द्वारा खरीदी गई थी, जो कालांतर में पारिवारिक व्यवस्थापन में वादी को प्राप्त हुई थी और शासकीय अभिलेखों में वादी का नाम उपरोक्त खसरा नंबरों पर दर्ज है। खसरा नंबर-229/6 में होटल वर्धमान व वादी का निवास स्थित है, जो बैहर मलाजखण्ड पी.डब्ल्यू.डी. रोड के दक्षिण तरफ है और खसरा नंबर-229/6 का कुछ हिस्सा खुला है एवं खसरा नंबर-229/1 के कुछ हिस्से में बंजारीटोला की तरफ वादी की वर्धमान

होटल का कीचन है और शेष हिस्सा खुला है। खसरा नंबर-229/1 के दक्षिण सीमा से लगकर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का मकान निर्मित है और उपरोक्त प्रतिवादीगण का मकान उनकी भूमि खसरा नंबर-229/3 की उत्तरी सीमा व वादी के खसरा नंबर-229/1 की दक्षिणी सीमा पर लगकर निर्मित है। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित विवादित भूमि में अक्षर "डी" स्थान से लगा हुआ एक आम का पेड़ है और वही आम का पेड़ खसरा नंबर-229/1 के दक्षिणी पश्चिमी कोना है और उस वृक्ष तक जो अक्षर "डी" के पास दर्शाया गया है वादी की बाउन्ड्री वॉल पूर्व से निर्मित है एवं वादी की भूमि खसरा नंबर-229/1 की दक्षिण सीमा व पूर्वी सीमा पर कोई बाउन्ड्री वॉल निर्मित नहीं है, जिसका निर्माण वादी करना चाहता है और इसके लिए वादी ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने आपत्ति की। प्रतिवादी क्रमांक-2 श्वेता जैन का चयन म.प्र. सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया और वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक-2 जिला टीकमगढ़ म.प्र. में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है और उसने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए प्रतिवादी क्रमांक-4 व उसके अधीन कर्मचारी राजस्व निरीक्षक व पटवारी पर दबाव डालकर गलत ढंग से खसरा नंबर-229/3 का सीमांकन माह अगस्त 2014 में प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति में करवाया और अवैधानिक रूप से वादी की करीब 4-5 डिसमिल भूमि खसरा नंबर-229/1 में घुसकर सीमांकन पत्थर गड़वा दिया, जिस पर वादी सहमत नहीं था, परंतु उसने तत्काल प्रतिवादी क्रमांक-2 एवं 3 पर प्रतिवादी क्रमांक-4 के भय के कारण कोई कार्यवाही नहीं की। वादी किसी भी प्रकार माह अगस्त 2014 में हुए सीमांकन को मानने के लिए पाबंद नहीं है।

3. दिनांक-20.01.2015 से वादी ने पुनः अपनी बाउन्ड्री वॉल तथा उसी पर 10 फीट चौड़ा टीन शेड लगाने के लिए निर्माण कार्य आरंभ किया तथा सारे मटेरियल भी एकत्रित कर लिया था एवं कॉलम गढ़े खोदे जा चुके थे। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने सी.एम. हेल्प लाईन में शिकायत क्रमांक-651645 दर्ज करवा दिया और प्रतिवादी क्रमांक-2 के दबाव में आकर प्रतिवादी क्रमांक-4 ने अवैधानिक ढंग से वादी के निर्माण के विरुद्ध एक स्थगन आदेश, दिनांक-23.01.2015 को जारी कर दिया कि वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 के खसरा नंबर-229/3 में अवैध रूप से दीवार का निर्माण कर रहा है, इसलिए वादी तत्काल निर्माण कार्य बंद कर दें एवं शिकायतकर्ता प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि का सीमांकन होने के बाद ही निर्माण करें एवं वादी दिनांक-28.01.2015 को प्रतिवादी क्रमांक-4 के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी क्रमांक-4 द्वारा थाना प्रभारी बिरसा को भेजी।

4. वादी ने तत्काल प्रतिवादी क्रमांक-4 के आदेश का पालन करते हुए निर्माण कार्य बंद कर दिया और दिनांक-28.01.2015 को अपने

समस्त दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी क्रमांक-4 के समक्ष उपस्थित हुआ तो प्रतिवादी क्रमांक-4 ने उसके दस्तावेज लेकर राजस्व निरीक्षक को दिया और वादी को धौंस व धमकी दिया कि वह वादी के लॉज एवं निवास को भी तुड़वा देंगे। ऐसी स्थिति में वादी ने घबराकर सी.एम. हेल्पलाईन में एक शिकायत ऑन लाईन में दिनांक-04.02.2015 को भेजा परंतु प्रतिवादी क्रमांक-2 के दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।

5. वाद की जानकारी हो जाने के बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिवादी क्रमांक-2 के दबाव व प्रभाव का लाभ लेते हुए प्रतिवादी क्रमांक-4 के समक्ष एक आवेदन दिनांक-10.04.2015 को धारा-250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत झूठे व फर्जी तथ्य दर्शाकर पेश कर दिया, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार बिरसा के समक्ष वादी ने अपना जवाब पेश कर यह याचना की कि तहसीलदार बिरसा के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित है, इसलिए प्रकरण में कोई कार्यवाही करने की बजाय व्यवहार न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया जाये। परंतु प्रतिवादी क्रमांक-4 ने उसे अनदेखा करते हुए प्रतिवादी क्रमांक-2 के दबाव व प्रभाव के कारण दिनांक-15.09.2015 को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया और दिनांक-15.09.2015 को ही वादी को बेदखली वारंट जारी कर दिया जो उसे दिनांक-16.09.2015 को प्राप्त हुआ। उक्त बेदखली वारंट में वादी को 7 दिवस के अंदर विवादित स्थल से कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु उक्त अवधि का इंतजार किये बिना प्रतिवादी क्रमांक-4 ने रा.नि. बिरसा व थाना प्रभारी मलाजखण्ड को भेजकर तत्काल दिनांक-16.09.2015 को ही वादी को विवादित स्थल से जबरन बेदखल कर दिया, जो कि प्रतिवादी क्रमांक-4 के बेदखली वारंट में दिए गए निर्देश व आदेश का स्वयं ही उल्लंघन है एवं विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-4 द्वारा पारित आदेश दिनांक-15.09.2015 एवं बेदखली वारंट दिनांक-15.09.2015 तथा उसके परिप्रेक्ष्य में रा.नि. बिरसा एवं थाना प्रभारी मलाजखण्ड द्वारा वादी को विवादित स्थल से बेदखल किये जाने की कार्यवाही विधितः एवं अद्यतः शून्य है, जिसे वादी अवैध एवं शून्य घोषित करा पाने का कानून अधिकारी है।

6. प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के प्रभाव व दबाव के कारण प्रतिवादी क्रमांक-4 द्वारा पारित किया गया आदेश व उस आदेश के परिप्रेक्ष्य व अनुपालन में रा.नि. बिरसा एवं थाना प्रभारी मलाजखण्ड व उनके पुलिस बल द्वारा की गई कार्यवाही भी अवैध होकर उनके अधिकार व क्षेत्राधिकार से परे है। वादी विवादित स्थल का कब्जा वापस प्राप्त करने का कानून अधिकारी है।

7. विवादित भूमि नक्शानजरी पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उन्हें कोई स्वामित्व प्राप्त है। फिर भी

प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 प्रतिवादी क्रमांक-4 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से वादी को विवादित भूमि पर उसके कानूनी हक से उसे वंचित कर देना चाहते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से न्यायालय के बाहर मामलों का निपटारा कर उन्हें वादी के वैधानिक अधिकार से विवादित भूमि पर दखल देने से बाज आने के लिए प्रयास किया, परंतु प्रतिवादी क्रमांक-1, 2 तथा 4 न्यायालय के बाहर अपनी अवैधानिक व बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा प्रस्तुत दावा दायर किया जाना आवश्यक हुआ।

8. प्रतिवादी क्रमांक-3 के विरुद्ध वादी को कोई निजा नहीं है, फिर भी प्रतिवादी क्रमांक-4 प्रतिवादी क्रमांक-3 के अधीन सेवारत है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया जा रहा है। वाद का मूल कारण माह अगस्त 2014 में प्रतिवादी क्रमांक-4 द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की उपस्थिति में गलत ढंग से सीमांकन करवाकर विवादित भूमि के अंदर सीमांकन खूटी गाड़ देने के बाद वह दिनांक-20.01.2015 को वादी का निर्माण कार्य शुरू होने के उपरान्त दिनांक-21.01.2015 को प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा सी.एम. ऑन लाईन शिकायत एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के दबाव में आकर दिनांक-23.01.15 को न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार व सुनवाई सीमा के अंतर्गत उत्पन्न हुआ एवं निरंतर जारी है।

9. प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि खसरा नंबर-229/3 रकबा 0.12½ मौजा पौनी प.ह.नं-43 रा. नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट की भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का मकान निर्मित है और प्रतिवादी क्रमांक-1 उक्त भूमि पर मालिक काबिज चली आ रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के द्वारा वादी की कथित भूमि पर किसी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-2 सिविल सेवा में टीकमगढ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है और उसके द्वारा अपने पद का एवं अधिकार का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं उसके पति मलाजखण्ड इन्द्रा मार्केट में ठेले पर फल दुकान लगाकर किसी तरह अपना एवं अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे तथा अपनी पुत्री प्रतिवादी क्रमांक-2 को अच्छी शिक्षा दिलाकर उसका पालन-पोषण किया गया, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक-2 अपनी मेहनत से उक्त पद पर पदस्थ हुई, जिस पर से वादी जलन विद्वेष रखकर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 के विरुद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 की उक्त भूमि को हड़प कर जाने की गरज से तथा उन्हें परेशान करने की गरज से यह दावा पेश किया गया है, जो सब्यय निरस्त किया जावे।

10. प्रतिवादी क्रमांक 04 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर अपने विशेष कथन में बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 सरला जैन पति सुरेन्द्र जैन द्वारा मौजा बंजारीटोला प.ह.नं-43 स्थित भूमि खसरा नंबर-229/3 रकबा 0.12½ डि. भूमि एवं भूमि खसरा नंबर-229/5 रकबा 0.11½ डि. कुल रकबा 0.24 डि. का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रतिवेदन के प्रदान किये जाने बाबद् प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में पेश किया गया है, जिसे विधिवत् सुनवाई किये जाने बाद दिनांक-20.03.2015 को सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा एवं प्रतिवेदन के संबंधित हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक से लिया गया। सीमांकन के दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि खसरा नंबर 229/3 रकबा 0.12½ डि. भूमि में से 0.03 डि. भूमि कम पाई गई व 0.17 X 1.75 कड़ी भूमि अनिल जैन के तरफ अतिक्रामक कब्जे के रूप में निकली जो नाप के दौरान आवेदिका व अनिल जैन के पुत्र को स्पष्टतः बताया गया व शासकीय रास्ता की भूमि व खसरा नंबर-247 में से 0.22 कड़ी X 4.00 जरीब पर वादी अनिल जैन का वर्धमान होटल का कब्जा होना पाया गया, जिस पर होटल का हिस्सा तार फेंसिंग लगी होना पाई गई, जिस पर से वादी को कब्जा हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि रकबा 0.03 डि. भूमि पर अतिक्रामक कब्जा किये गए हुए हैं, जिसे वापस न करना पड़े इस आशय से दुर्भावनापूर्ण ढंग से मनगढ़त तथ्यों पर आधारित दावा पेश किया गया है, जो पोषणीय न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

11. वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटाना न पड़े व प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि पर कब्जा बनाया रखा जा सके, जो कि सीमांकन के दौरान स्पष्ट हो चुका है, जिसका प्रतिवादी क्रमांक-1 कब्जा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारिणी है, इस आशय से मनगढ़त तथ्यों पर आधारित दावा प्रस्तुत किया गया है, जो कि निराधार एवं औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक-4 के द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सीमांकन आवेदन मय राजस्व अभिलेख के प्राप्त होने के बाद विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने बाद विधि अनुकूल सीमांकन किये जाने आदेशित किये जाने पर सीमांकन कार्य अधिनस्थ कर्मचारी से करवाया गया है, जो कि मौके पर उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति का खुलासा करते हुए सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा फिल्ड बुक के प्रस्तुत किये है, जिस कार्यवाही से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है व प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि तथा शासकीय रास्ता मद की भूमि पर वादी का अतिक्रामक कब्जा होना पाया गया है, जिसे विधिक सिद्धान्त अनुसार कब्जा हटाया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में बेदखली की कार्यवाही को बाधित

करने के आशय से मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित दावा पेश किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

12. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष विवेचना उपरांत निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वाग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर-229/1 नक्शा नजरी में ए,बी,सी,डी, से लाल रंग से दर्शित स्थित मौजा पौनी रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट वादी के आधिपत्य की है ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 व 02 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है ?	“प्रमाणित नहीं ”
3	क्या अनुचित मूल्यांकन के कारण पोषणीय नहीं है ?	“प्रमाणित”
4	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका - 23 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष:-

13. वर्तमान वाद स्थायी निषेधाज्ञा उद्घोषणा तथा कब्जा हेतु प्रस्तुत किया है। जिस हेतु वाद का मूल्यांकन विवादित भूमि के बाजार मूल्य एक लाख रुपये पर किया जाकर पांच सौ रुपये न्यायालय शुल्क चसपा किया गया है। पूर्व में वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। तदोपरांत दिनांक 09.08.16 के संशोधन के माध्यम से वादी द्वारा घोषणा एवं कब्जे का अनुतोष भी मांगा गया है। परंतु अतिरिक्त अनुतोष हेतु वादी द्वारा किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया। वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा घोषणा, कब्जा तथा व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है परंतु न्यायालय शुल्क अनुच्छेद-17 अनुसूची-2 के अनुसार अदा किया गया है। जबकि पश्चातवर्ती अनुतोष हेतु किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है। पश्चातवर्ती अभिवचनों में वादी द्वारा घोषणात्मक डिक्री के साथ पारिणामिक अनुतोष चाहा

गया है जो न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा-7(iv)सी से शासित होता है तथा जिस हेतु तदानुसार न्यायालय शुल्क अदा किया जाना आवश्यक था। परंतु वादी द्वारा उक्तानुसार न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है। जिससे विवादक क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-01 व 02 का निष्कर्ष:-

14. वादी अनिल जैन (वा0सा01) के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 229/6 रकबा 0.22 डिसमिल तथा खसरा नम्बर 229/3 रकबा 0.56 डिसमिल स्थित मौजा पौनी में मालिक व काबिज है जिसे वादी के भाई गौतमदास द्वारा वर्ष 1990 में श्रीमति शांतिबाई तथा देवेन्द्रकुमार जैन निवासी बालाघाट से रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था, जो कालांतर में पारिवारिक व्यवस्थापन में उसे प्राप्त हुई थी तथा शासकीय अभिलेख में उसका नाम उपरोक्त खसरा नम्बरों पर दर्ज है। खसरा नम्बर 229/6 में होटल वर्धमान तथा उसका निवास स्थित है जो बैहर मलाजखण्ड पी.डब्ल्यू.डी रोड के दक्षिण तरफ है। खसरा नम्बर 229/6 का कुछ हिस्सा खुला है तथा खसरा नम्बर 229/1 के कुछ हिस्से पर बंजारीटोला रोड की तरफ उसकी वर्धमान होटल का किचिन है व शेष हिस्सा खुला है। खसरा नम्बर 229/1 के दक्षिण से लगकर प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का मकान निर्मित है। जो खसरा नम्बर 229/1 की दक्षिणी सीमा पर लगकर है। खसरा नम्बर 229/1 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर एक आम का पेड़ है तथा उसकी बाउण्ड्रीवाल निर्मित नहीं है जिसका वह निर्माण करना चाहता है तथा जिस हेतु उसने अपना निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की तरफ से आपत्ति की गयी। प्रतिवादी क्रमांक 02 वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर जिला टीकमगढ़ में पदस्थ है। जिसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 04 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों तथा पटवारी पर दवाब डालकर खसरा नम्बर 229/3 का सीमांकन अगस्त 2014 में करवाया और अवैधानिक रूप से उसके खसरा नम्बर 229/1 की भूमि में चार-पांच डिसमिल घुसकर सीमांकन पश्चात पत्थर गडवा दिया जिससे वह सहमत नहीं था। परंतु उसने तत्काल भय बश कोई कार्यवाही नहीं की।

15. अनिल जैन (वा0सा01) का कथन है कि दिनांक 20.01.15 को उसने पुनः बाण्ड्रीवाल तथा उस पर 10 फिट चौड़ा टीन शेड लगाने के लिए

मटेरियल एकत्रित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 ने सी.एम.हेल्पलाईन में शिकायत क्रमांक 651645 दर्ज करवा दी और दिनांक 23.01.15 को प्रतिवादी क्रमांक 02 के दबाव में आकर प्रतिवादी क्रमांक 04 ने अवैध रूप से उसके विरुद्ध एक स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जिसके पश्चात उसने दिनांक 28.01.15 को प्रतिवादी क्रमांक 01 के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। तब प्रतिवादी क्रमांक 04 ने उसके लॉज व निवास को तुड़वा देने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में उसने घबराकर दिनांक 04.02.15 को सी.एम.हेल्पलाईन में एक शिकायत दर्ज करायी परंतु प्रतिवादी क्रमांक 02 के दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।

16. अनिल जैन (वा0सा01) के अनुसार दौरान मुकदमा वाद की जानकारी हो जाने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 02 के प्रभाव का लाभ लेते हुए प्रतिवादी क्रमांक 04 से साजिश करके उसके समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 250 म0प्र0भू-राजस्व संहिता दिनांक 10.04.15 को प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी होने पर उसने तहसीलदार बिरसा के समक्ष उपस्थित होकर भूमि के संबंध में वर्तमान प्रकरण लंबित होने की जानकारी देकर कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादी क्रमांक 04 ने प्रतिवादी क्रमांक 02 के दबाव तथा प्रभाव के कारण दिनांक 15.09.15 को वादग्रस्त भूमि पर बेदखल करने का आदेश पारित कर बेदखली वारण्ट जारी कर दिया जो उसे दिनांक 16.09.15 को प्राप्त हुआ तथा जिसमें उसे कब्जा हटाने हेतु सात दिवस की अवधि दी गयी थी। परंतु उक्त अवधि इंतजार किये बिना प्रतिवादी क्रमांक 04 ने राजस्व निरीक्षक बिरसा और थाना प्रभारी मलाजखण्ड को भेजकर तत्काल दिनांक 16.09.15 को ही उसे वादग्रस्त भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर दिया। जो कि बेदखली वारण्ट में दिये गये निर्देश व आदेश का स्वयं ही उल्लंघन है जो कि विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही अवैध होकर क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उन्हें कोई स्वामित्व प्राप्त है फिर भी वह उसे अवैधानिक रूप से विवादित भूमि पर से उसके अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं।

17. अनिल जैन (वा0सा01) के अनुसार उसने वाद के समर्थन में भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका प्र.पी.01, खसरा वर्ष 2015-16 प्र.पी.02 तथा 03, किस्तबंदी खतौनी प्र.पी.04, नक्शा प्र.पी.05 तथा 06, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 26.09.15 प्र.पी.07, स्थल पंचनामा प्र.पी. 08, सीमांकन तथा फील्ड बुक दिनांक 26.09.15 प्र.पी.09 व 10, राजस्व प्रकरण क्रमांक 6अ/70 वर्ष 2014-15 की आदेश पत्रिका प्र.पी.11 तथा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15.09.15 प्र.पी.12, सरला जैन द्वारा पेश आवेदन दिनांक 10.04.15 प्र. पी.13, तहसीलदार द्वारा जारी सूचना दिनांक 14.05.15 प्र.पी.14, राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 15.05.15 प्र.पी.15, जवाब दिनांक 28.05.15 प्र. पी.16, शपथ पत्र दिनांक 28.05.15 प्र.पी.17, राकेश तथा दुर्गेश के बयान प्र.पी. 18 एवं 19, अनिल जैन का आवेदन दिनांक 04.06.15 प्र.पी.20, ज्ञापन दिनांक 23.06.15 प्र.पी.21, चंद्रशेखर, विजय तथा किशन बघेल के बयान प्र.पी.22, 23 व 24, बेदखली वारण्ट दिनांक 15.09.15 प्र.पी.25, राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 16.09.15 प्र.पी.26 एवं स्थल पंचनामा प्र.पी.27 पेश किया हैं। वादी के उक्त कथनों का समर्थन विजय राठौर (वा0सा02) तथा चंद्रकिशोर मुदलियार (वा0सा03) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में किया है।

18. प्रतिवादी सरला जैन (प्रति0सा01) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 229/3 रकबा 0.12½ डिसमिल मौजा पौनी उसके हक मालिकी एवं कब्जे की है। जिस पर उसका मकान निर्मित है जो खसरा नम्बर 229/1 की दक्षिणी सीमा पर लगकर है तथा खाली भूमि के पश्चात उसका मकान स्थित है। उसके तथा उसकी पुत्री के द्वारा वादी की कथित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया गया। उसके खसरा नम्बर 229/3 के कुछ हिस्से पर वादी के द्वारा विधि विरुद्ध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जिस पर विधिवत सीमांकन पश्चात वादी का कब्जा हटाये जाने हेतु उसके द्वारा तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में धारा-250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता का आवेदन पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिरसा द्वारा विधि अनुरूप जांच कर वादी का अवैध कब्जा पाये जाने पर उक्त अवैध कब्जे को हटाकर उसे विधि अनुसार भूमि में कब्जा प्रदान किया गया। उसके द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 229/1 एवं 229/3 की सीमा पर तार की फेंसिंग लगाकर सुरक्षा हेतु कवर किया गया है

ताकि वादी पुनः उसकी भूमि पर जबरन कब्जा न कर लेवे। वह तथा उसके पति मलाजखण्ड इंदिरा मार्केट में ढेले पर फल दुकान लगाकर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे तथा वहीं पर रहकर अच्छी शिक्षा दिलाकर प्रतिवादी क्रमांक 02 का पालन पोषण किया जिसके कारण वह अपनी मेहनत से उच्च पद पर पदस्थ हुई। प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा अपने पद एवं अधिकार का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया है। वादी द्वारा जलन तथा विद्वेष वश उनके विरुद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है। उसने जवाब दावा के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका प्र.डी.01, खसरा प्र.डी.02, राजस्व प्रकरण क्रमांक 1अ12/14-15 के आदेश पत्रिका की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.03, तहसीलदार बिरसा का ज्ञापन प्र.डी.04, सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी.05, स्थल पंचनामा प्र.डी.06, नक्शा प्र.डी.07, फील्ड बुक प्र.डी.08 पेश किया है।

19. वादी अनिल जैन (वा0सा01) ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वर्ष 2014 के अगस्त माह में किये गये सीमांकन को प्रश्नगत किया गया है। परंतु कथित सीमांकन प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-10 में साक्षी के कथन है कि गौतमचंद द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र में वादग्रस्त भूमि की लम्बाई-चौड़ाई तथा चतुर्सीमा का लेख है। पारिवारिक व्यवस्था पत्र में भी भूमि की लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख है परंतु उक्त दोनों दस्तावेज उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं। कंडिका-11 में साक्षी का कथन है कि उसने विवादित भूमि का सीमांकन आर.आई.दुबे से करवाया था। परंतु उक्त सीमांकन रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं की है। वादी द्वारा प्रकरण में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनसे उसे वादग्रस्त भूमि पर वैध आधिपत्य होने के संबंध में कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि सम्पूर्ण दस्तावेजों में कहीं भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व तथा वैध आधिपत्य नहीं दर्शाया गया है। वादी द्वारा प्रकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उनकी अप्रस्तुति के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। वादी द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.03.15 के सीमांकन को अवैध ठहराया गया है परंतु उक्त सीमांकन को किस आधार पर वादी द्वारा अवैध कहा गया है यह सम्पूर्ण प्रकरण में दर्शित नहीं है। मात्र अनुपस्थिति के आधार पर राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व न्यायालय के आदेशानुसार की गयी कार्यवाही को अवैध नहीं कहा जा सकता। वादी के पास सीमांकनकर्ता राजस्व

अधिकारी तथा कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित कर सीमांकन के संबंध में प्रश्न पूछने का अवसर था परंतु उसके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। वादी के पास न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर नियुक्त किया जाकर भी सीमांकन करवाने का अधिकार उपलब्ध था। परंतु उसके द्वारा उक्त अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया।

20. सीमांकन के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध धारा-250 म0प्र0भू राजस्व संहिता की कार्यवाही हेतु तहसीलदार न्यायालय बिरसा में आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु वादी द्वारा उक्त सीमांकन के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसे उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 में स्वीकार किया गया है। उक्त संबंध में वादी का तर्क है कि तहसीलदार न्यायालय बिरसा में उसने वर्तमान प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी थी तथा जिस हेतु उसने अन्यत्र अपील नहीं की। उक्त तर्क से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसने अगस्त 2014 के सीमांकन में उसकी भूमि के अंदर करीब चार-पांच डिसमिल पर पत्थर गडवाने के कथन मुख्य परीक्षण में किये हैं। उक्त सीमांकन के विरुद्ध उसने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की यह प्रकरण में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। इसके विपरीत वादी के कथनों से ही प्रतिवादीगण का अपनी भूमि की रक्षा हेतु त्वरित आचरण दर्शित है। जिसमें दिनांक 20.01.15 को वादी के निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर तत्काल सी.एम.हेल्पलाईन में शिकायत तथा तहसीलदार न्यायालय बिरसा से स्थगन प्राप्ति शामिल है। इसके विपरीत वादी द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन में कथित शिकायत के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। सम्पूर्ण प्रकरण में वादी द्वारा केवल मौखिक आधारों पर मात्र प्रतिवादी क्रमांक 02 के पद पर होने के कारण राजस्व न्यायालय की कार्यवाहियों को चुनौती दी गयी है। जबकि सीमांकन दिनांक 19.03.15 में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की भूमि के अलावा शासकीय भूमि पर भी वादी का अतिक्रमण पाया गया था।

21. जहां तक बेदखली कार्यवाही का संबंध है और जिसे प्रतिवादी सरला जैन द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 15.09.15 को ओदश पारित होने के उपरांत दिनांक 16.09.15 को वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया। जबकि उसे उक्त संबंध में सात दिवस का समय

प्रदान किया गया था, उक्त बेदखली के संबंध में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की त्वरित कार्यवाही मात्र से धारा-250 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व न्यायालय बिरसा द्वारा की गयी कार्यवाही को अवैध नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सम्पूर्ण प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व तथा वैध आधिपत्य दर्शित नहीं किया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 19.03.15 में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की भूमि के अलावा शासकीय रास्ते पर वादी का अतिक्रमण पाया गया है। संभवतः शासकीय मार्ग के अतिक्रमण को हटाने हेतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। क्योंकि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा किसी प्रकार का पद के प्रभाव का उपयोग दर्शित नहीं है।

22. प्रकरण में वादी द्वारा ही तहसीलदार न्यायालय बिरसा के प्रकरण क्रमांक 6अ70 वर्ष 2014-15 की आदेश पत्रिका प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है। जिसे स्वयं वादी अनिल जैन (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 में स्वीकार किया है कि राजस्व न्यायालय में उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार न्यायालय बिरसा द्वारा म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा-250 के अंतर्गत की गयी कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा-257(भ), धारा-250 के अंतर्गत किये गये विनिश्चय के संबंध में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित करती है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व तथा वैध आधिपत्य दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व न्यायालय बिरसा द्वारा विधिवत कार्यवाही पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को आधिपत्य प्रदान किया जाना दर्शित है। वादी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 के पद पर होने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाहियों को चुनौती दी गयी है। जबकि वह प्रतिवादी क्रमांक 02 के कथित अनुचित प्रभाव को दर्शाने में पूर्णतः असफल रहा है। उसके द्वारा प्रकरण में न तो उचित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है और न ही प्रस्तुत दस्तावेजों से उसे किसी प्रकार की सहायता मिलती है। फलतः विवादक क्रमांक 01 व 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

23. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव वाद निरस्त कर वादी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा-7(iv)सी के अनुसार अतिरिक्त अनुतोष हेतु शेष न्यायालय शुल्क अदा करें। प्रकरण में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

(1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।

(2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर बालाघाट म.प्र.